

८/११/२५- अधिवक्ता उभयपक्ष उप०। अधिवक्ता अपीलार्थ होप रेस्यो.
के पंजीकृत सम्मन पेश करें। पत्रावली आपदा दिनांक
२३/१२/२५ को पेश हो।

२३/१०/२५ अधिवक्ता उभयपक्ष उप०। अधिवक्ता अपीलार्थ शेष रेस्यो.
के पंजीकृत सम्मन पेश करें। पत्रावली आपदा दिनांक १२/११/२६
को पेश हो।

१२/२/२६ अधिवक्ता अपीलार्थ उप०। रेस्यो. सं. १ जी ओर लेडी महेन्द्र
नारायण-ओसा अधिवक्ता उप०। अधिवक्ता अपीलार्थ
को आदेशिका दिनांक २६/१/२५ के रेस्यो. सं. १, ३, ७, ८
व १० के सम्मन पेश करने हेतु निर्देशित किया
गया, किन्तु अधिवक्ता अपीलार्थ द्वारा जानबूझ कर आदेशिका
तक उक्त आदेश की पाठना में उक्त रेस्यों के R.P. Ad
सम्मन पेश नहीं किये। अधिवक्ता अपीलार्थ को उक्त आदेशिका
की पाठना हेतु अनेकानेक अवसर प्रदान किये जा चुके हैं।
अतः उक्त अपील अदम तर्कमूल में खारिज की जाती
है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्गमित होकर बाद तर्कमूल
बोख्या ले ~~ए~~ होकर दायिल दस्तूर हो।

राजस्थान अपील प्राधिकरण
फरती